भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2076
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य पदार्थों में मिलावट

2076. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः
श्री अरविंद गणपत सावंतः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का संज्ञान लिया है क्योंकि देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार देश में शुद्ध पनीर के उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त और पारदर्शी कानून लाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मक्खन, दूध में पाम ऑयल की मिलावट के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में दोषियों को कठोर दंड देने के लिए मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने नियमित निगरानी, त्वरित कार्रवाई और त्वरित न्यायालयों के माध्यम से ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां और संसाधन प्रदान करने का है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक आधार पर मानक निर्धारित करे और उनके उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करे ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (एफएसएसआर) के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई, अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से, देशभर में नियमित रूप से निगरानी, निरीक्षण, नमूनाकरण और प्रवर्तन का कार्य करता है। यदि कहीं भी मानकों से विचलन या एफएसएसआर के उल्लंघन पाए जाते हैं, तो संबंधित **खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ)** के खिलाफ नियामक कार्रवाई की जाती है, जिसमें **दंडात्मक उपाय** भी शामिल हैं, जैसा कि एफएसएस अधिनियम, 2006 और उससे संबंधित नियमों में निर्दिष्ट है। एफएसएसएआई खाद्य मिलावट से संबंधित शिकायतों की शीघ्र जाँच भी करता है ताकि खाद्य सुरक्षा और **जन स्वास्थ्य की संरक्षा** की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश भर में और महाराष्ट्र राज्य में अनुपालन न करने वाले एफबीओ के विरूद्ध एफएसएसएआई द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित आंकड़े **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को खाद्य व्यवसाय शुरू करने से पहले एफएसएस विनियमों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति वैध लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना खाद्य व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकता। इसके अलावा, दूध और दूध उत्पादों (जैसे पनीर) के निर्माण/प्रसंस्करण में लगे एफबीओ को लाइसेंस जारी करने से पहले पूर्व-लाइसेंस निरीक्षण अनिवार्य है।

पनीर की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को एफएसएस (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। एफएसएसएआई के पास जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस) है, जिसमें खाद्य व्यवसायों से जुड़े जोखिम के आधार पर निरीक्षण की आवृत्ति तय की जाती है। इसी के अंतर्गत, दूध एवं दूध उत्पादों को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया है और इसके तहत वार्षिक निरीक्षण अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान नमूनाकरण भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। सभी केंद्रीय लाइसेंसधारी खाद्य निर्माता, जिनमें पनीर निर्माता भी शामिल हैं, को एफएसएसएआई द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों से वर्ष में एक बार अन्य पक्ष से परीक्षण कराना आवश्यक है। यदि कहीं कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उसका समाधान सुधारात्मक कार्रवाई, जुर्माने और मार्गदर्शन के माध्यम से किया जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

(छ): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। जहाँ एफएसएसएआई वैज्ञानिक आधारित मानक निर्धारित करने और समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार है, वहीं **राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण** मुख्य रूप से **क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन** के लिए जिम्मेदार होते हैं। तथापि, राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण फील्ड स्तर पर प्रवर्तन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, "मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" (एसओएफटीईएल) योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत, **47 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन** किया गया है और **34 सूक्ष्मजीव प्रयोगशालाएँ** खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर, एफएसएसएआई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी सहायता कर रहा है।

परीक्षण क्षमताओं में अंतर को पाटने और दूरस्थ क्षेत्रों, जहां प्रयोगशाला अवसंरचना की कमी है, को मौके पर खाद्य परीक्षण की सुविधा मुहैय्या कराने तथा बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एमएफटीएल) की स्थापना की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुमानों के आधार पर, एफएसएसएआई एमएफटीएल की खरीद और परिचालन व्यय के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एफएसएसएआई ने देशभर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 541 एमएफटीएल के लिए निधि संस्वीकृत की है।

अनुलग्नक-I

देश भर में अनुपालन न करने वाले एफबीओ के खिलाफ एफएसएसएआई द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण

वित्तीय वर्ष	लिए गये/ विश्लेषित नमूनों की संख्या	मानदंडों के विरुद्ध पाए गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए मामलों की संख्या
2024-25	1,94,116	34,388	31,407

महाराष्ट्र राज्य में अनुपालन न करने वाले एफ.बी.ओज के खिलाफ एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लिए गये/ विश्लेषित नमूनों की संख्या	मानदंडों के विरुद्ध पाए गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए मामलों की संख्या
महाराष्ट्र	8,788	1,250	1,147

******